डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 / 1856 दिनांकः 16 अप्रैल, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः शैक्षिक सत्र 2023–24 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु (योजनान्तर्गत) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सरकारी / स्ववित्त पोषित संस्थाओं (द्वितीय चरण) में अध्ययनरत् छात्रों की वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता आनलाइन सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 शासन के पत्रांक I / 474798 / 2024–16–3099 / 22 / 2019–3 दिनांक 17.01.2024 के साथ संलग्न समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्र संख्या 11 / 2024 / 148 / 26–3–2024 / सी.एन.–1513982 दिनांक 11.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से द्वितीय चरण हेतु बिन्दु संख्या 22 पर विश्वविद्यालय पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत संस्थाओं (द्वितीय चरण) में अध्ययनरत् छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदनों की स्थिति एवं वास्तविक संख्या आदि की प्रमाणिकता आनलाईन सत्यापन किये जाने हेतु समाज कल्याण पोर्टल दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से 26 अप्रैल, 2024 तक सत्यापित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

विश्वविद्यालय के पत्रांक ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 / 180 दिनांक 01.02.2024 एवं ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 / 974 दिनांक 16.02.2024 में उल्लिखित बिन्दुओं के क्रम में शपथ पत्र के साथ छात्र / छात्राओं की वर्गवार सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त समस्त अभिलेखों सहित एवं प्रति शपथ की मूल प्रति साथ छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्र / छात्राओं की वास्तविक संख्या को अग्रसारित करते हुए दिनांक 22 अप्रैल, 2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति संस्थान स्वयं जिम्मेदार होगा।

संलग्नः यथोक्त।

भवदीय,
16/4/24
(डॉ आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(डॉ आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर।
2. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
3. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
4. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0 गोरखपुर।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः17/01/2024**

विषय- वित्तीय पर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर/पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्रवृत्ति व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय-सारिणी के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र दिनांक-11.01.2024 एवं विशेष सचिव, समाज कल्याण अनुभाग-3 के पत्र दिनांक-05.01.2024 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में पत्रों में की गयी अपेक्षा क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

19369
18/1/24
DR(R)

भवदीय,

Digitally Signed by चिरौंजी लाल
(चिरौंजी लाल)
Date: 17-01-2024 18:09:56
Reason: Approved
उप सचिव।

Reg
10/1/24

प्रेषक, संख्या 11 /2024/ 148/26-3-2024/C.N. 1513982

राज कुमार झा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4316/स0क0/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 10.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं मे अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-105/2023/4036/26-3-2023/C.No-1513982 दिनांक 18.12.2023 के अनुसार 31 दिसम्बर, 2023 तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को प्रथम चरण के अन्तर्गत माह मार्च, 2024 में निर्धारित तिथि को धनराशि का अंतरण किया जाना है। 01 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को द्वितीय चरण के अन्तर्गत माह जून, 2024 में निर्धारित तिथि को धनराशि का अंतरण किया जायेगा।

3- उक्त के क्रम में वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों/छात्राओं हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

AC
डू.NIC/ALLDD/ALL DSWO व अन्य को प्रेषित करें।
11.1.2024
(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

क्र0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u> प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य	12 जनवरी से 15 जनवरी, 2024 तक

	प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
2	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	16 जनवरी, 2024 तक
3	**जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	17 जनवरी, 2024 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रकिया	
	प्रथम चरण	
4	**छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	31 दिसम्बर 2023 तक
5	**छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 जनवरी, 2024 तक
6	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	08 जनवरी 2024 तक
7	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 जनवरी, 2024 तक

8	**नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन** छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 जनवरी 2024 से 03 मई 2024 तक
9	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	24 जनवरी 2024 से 20 फरवरी 2024 तक
10	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	24 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
11	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 तक
12	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	12 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
13	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 फरवरी 2024 तक
14	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः	19 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024 तक

	परीक्षण किया जाना।	
15	<u>जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध **डाटा लॉक करना**</u> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	12 मार्च, 2024 तक
16	**<u>मांग सृजन</u>** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	17 मार्च 2024 तक
17	<u>धनराशि **का अन्तरण**</u> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	22 मार्च 2024 तक
	द्वितीय चरण	
18	<u>छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन</u> छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक
19	**छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से <u>पूर्व 03 कार्य दिवसों में</u>** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 अप्रैल, 2024 तक
20	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में <u>जमा किया जाना</u>** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	08 अप्रैल 2024 तक
21	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं <u>अग्रसारित करना</u>** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 अप्रैल 2024 तक

22	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	16 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक
23	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	16 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक
24	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा प्रथम चरण के अवशेष डाटा तथा द्वितीय चरण के शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	26 अप्रैल 2024 से 14 जून 2024 तक
25	**त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना** छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 तक
26	**छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना** ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	26 अप्रैल 2024 से 07 मई 2024 तक
27	**एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	08 मई 2024 से 16 मई 2024 तक
28	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अवशेष डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	14 जून 2024 तक
29	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से	18 जून 2024 तक

	माँग सृजित कराना।	
30	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	28 जून 2024 तक

नोट- शासनादेश दिनांक 18-12-2023 द्वारा जारी पूर्व समय-सारिणी में उल्लिखित नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by राज कुमार झा
Date: 11-03-2024 18:45:07
Reason: Approved

(राज कुमार झा)
अनु सचिव

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)
अनु सचिव।